

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated... 30.09.2020


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF's letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **2.205 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of the जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनवाड़ी से बनी भैसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि०मी० district Almora falls within jurisdiction Bhaisholi, Dalmoti Village (s) in Ranikhet Tahsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **2.205 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural communities.:-YES

Encl: As above


 नितीन शिखाव डल्लाव बरिदारी
 अल्मोड़ा


 Nitin Singh Bhadauria
 District Collector, Almora

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated... 30.9.2020


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that **2.628 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of Provincial Division P.W.D. Almora for the जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनवाड़ी से बनी भैसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि०मी० **district Almora falls within jurisdiction Bhaisoli, Dalmoti Village (s) in Ranikhet Tahsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **2.205** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Bhaisoli, Dalmoti** villages (s) is enclosed as annexure 3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above


 नितीन शिन्हा भडावुरिया
 जिला कलेक्टर अल्मोड़ा


 Nitin Singh Bhadauria
 District Collector, Almora


OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under
schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act
(FRA). 2006.


A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Nitin singh Bhadauria, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date. ~~31.10.2017~~ ^{31.10.2018} at time ~~10:09:20~~ ^{10:09:20} at Almora in which application claiming rights of **Bhaisoli, Dalmoti** measuring **2.205 hac.** for the जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनवाड़ी से बनी भैसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Ranikhet** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora


जिलाधिकारी
अल्मोड़ा
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

DATE:


जिला स्तरीय समिति का सदस्य
अल्मोड़ा

परियोजना का विवरण:- जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों -काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के
ग्राम टनमाड़ी से बनी भैसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक लिंक
मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि०मी०
कार्यालय उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, अल्मोड़ा

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों
-काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनमाड़ी से बनी भैसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक
लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि०मी० के निर्माण हेतु 2.205 है० वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील
अल्मोड़ा) की दिनांक 21.09.2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सु. श्री अश्वर
पाण्डे.....उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता
में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- सु. श्री सुपूर्वा पाण्डे.....उपजिलाधिकारी, अल्मोड़ा अध्यक्ष
- 2- श्री भूपाल दिधिनितेश.....उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य
- 3- सु. श्री नम्रता जोड़.....सहायक समाज कल्याण अधिकारी, द्वारघाट, सदस्य
- 4- श्री 216-2514 मन्नी.....क्षेत्र भैसोली सदस्य

क्षेत्र पंचायत भैसोली-35
वि०ख०- द्वारघाट (अल्मोड़ा)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप
जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया
गया कि जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में द्वारसों -काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम
टनमाड़ी से बनी भैसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00
कि०मी० के निर्माण हेतु 2.205 है० वन भूमि, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु
प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला
लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर
सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड
जनपद अल्मोड़ा

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वनप्रभाग अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में द्वारसों -काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनमाड़ी से बनी भैसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि०मी० के निर्माण हेतु 2.205 है० वन भूमि प्रा०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील रानीखेत व जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील रानीखेत व जनपद अल्मोड़ा

परियोजना का नाम - जनपद अल्मोड़ा में द्वालो - काकड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम
उनमाड़ी से बनी बैंगोली लिंक रोड के ग्राम दलमोटी व बलुविया तक
लेख मोटर मार्ग पर 4.00 Km

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - बैंगोली
 तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वालो - काकड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम
उनमाड़ी से बनी बैंगोली लिंक रोड परियोजना के निर्माण हेतु 1.12.5 हे० आरक्षित वन भूमि,
 0.900 हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 0.190 हे० अर्थात् कुल 2.295
 हे० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार,
 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के
 विषय में ग्राम पंचायत बैंगोली द्वारा दिनांक 19.02.2019 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम
 पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत
 करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत
 आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
 उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा
 गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण
 हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।
 चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि
 ग्राम बैंगोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता
 एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बैंगोली
विकास खण्ड - दलमोटी

जालम सिंह
 प्रधान
 ग्राम पंचायत बैंगोली
 वि०ख०- द्वालाहाट (अल्मोड़ा)
 ग्राम प्रधान
राधा जलाल
 ग्राम पंचायत सदस्य
 बैंगोली

प्रपत्र-23.1

दिनांक 12.02.19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सोनी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	श्री कुमाल सिंह	कुमाल सिंह
	श्री कप सिंह	रूप सिंह
	श्री राजेंद्र सिंह	श्री म. सिंह
		उदीराम
		हिला

लन्डन

राधा जलाल
राधा
ग्राम पंचायत अध्यक्ष
सोनी

ग्राम प्रधान

जलाल सिंह
ग्राम पंचायत सदस्य
वि.सं. 0- हाराहाट (अ.मोड़ा)

परियोजना का नाम - द्वारमो - जावड़ीघाट मो. मार्ग के ग्राम - दलमोटी व वृत्तिका
वनी चौकी सिव. सोय. के ग्राम - दलमोटी व वृत्तिका
 तब लिंक मोट. मार्ग ल. - 4.00

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम दलमोटी
 तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वारमो - जावड़ीघाट मो. मार्ग के ग्राम -
दलमोटी व वनी चौकी सिव. सोय. के ग्राम - दलमोटी व वृत्तिका परियोजना के निर्माण हेतु 1.12.5 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.180 हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 0.990 हे० अर्थात् कुल 2.205 हे० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दलमोटी द्वारा दिनांक 17.02.2011 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम दलमोटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत दलमोटी
 विकास खण्ड द्वारमो

राधा जलाल
 राधा
 क्षेत्र पंचायत सदस्य
 नमाली

बिद्या अधिकारी

सम्पन्न
 वन पंचायत दलमोटी
 पो. ओ. भ. न. रानीखेत
 जिला अल्मोड़ा
 विकास खण्ड द्वारमो

शुक्लदीप
 प्रधान

ग्राम पंचायत दलमोटी
 पो. ओ. भ. न. रानीखेत (अल्मोड़ा)
 जिला अल्मोड़ा
 विकास खण्ड द्वारमो

प्रपत्र-23.1

दिनांक 17-02-12 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत दलमोटी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
		वसुदेव
		हरकृष्ण
		शान्ती देवी
		पानसिंह
		मिनाजी देवी
		पूरनसिंह

शबरी देवी
प्रधान

ग्राम पंचायत दलमोटी
बि० ख०-द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत द्वारसों-काकड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनवाड़ी बैण्ड से बनी भैसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक लिंक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य लम्बाई 4.00 कि०मी०


वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम-बटुलिया

तहसील-रानीखेत व जिला-अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत द्वारसों-काकड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनवाड़ी बैण्ड से बनी भैसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक लिंक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य लम्बाई 4.00 कि०मी० हेतु 2.205 है० वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बटुलिया द्वारा दिनांक 11/07/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बटुलिया के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


सरपंच

वन पंचायत बटुलिया

ग्राम प्रधान


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी


क्षेत्र-.....
विकासखण्ड, द्वारसों, अल्मोड़ा

11/07/2021

दिनांक 11/07/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत बटुलिया

क्रम सं०	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	जीवन सिंह	जीवन सिंह
2	रजनी सिंह	रजनी सिंह
3	जगन्नाथ	
4	लाल सिंह	लाल सिंह
5	रंजित सिंह	रंजित सिंह
6	मान सिंह	मान सिंह
7	दयाराम सिंह	दयाराम सिंह
8	राजेश्वर सिंह (ल.)	राजेश्वर सिंह
9	रानी देवी	रानी देवी
10	हरि देवी	हरि देवी
11	बाजेश्वर सिंह (म.)	बाजेश्वर सिंह
12	राधा देवी	राधा देवी
13	पद्म सिंह	पद्म सिंह
14	विनोद सिंह	विनोद सिंह
15	समता	समता
16	अशोक नारायण राणा	अशोक


सरपंच
ग्राम पंचायत बटुलिया


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र-.....
विकासखण्ड, बाराहाट, अलमोड़ा
11/07/2021

ग्राम प्रधान